भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2377
उत्तर देने की तारीख 18 दिसंबर, 2023
सोमवार, 27 अग्रहायण, 1945 (शक)

महिला उद्यमी

2377. श्री संजय काका पाटील:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विनिर्माण अथवा उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में नई महिला उद्यमियों की संख्या कितनी है;

(ख) ऐसे क्षेत्रों में महिला उद्यमियों की कम संख्या के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में महिला उद्यमियों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा सहायता प्रदान की गई है?

उत्तर

कौशल विकास और उदयमशीलता राज्य मंत्री
(श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) और (ख) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) भारत सरकार के कुशल भारत मिशन (सिम) के अंतर्गत, विभिन्न स्कीमों अर्थात प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के द्वारा कौशल विकास केंद्रों/कॉलेजों/संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। सिम का उद्देश्य देश के युवाओं को भावी और उद्योग हेतु कौशल के लिए सक्षम बनाना है।

I. देश में महिला उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा की गई विभिन्न पहलों का विवरण इस प्रकार है:

(i) उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) - देश भर में नवोन्मेष और प्रशिक्षकों को बढ़ावा देने के लिए एक सुदृढ़ सशक्त तंत्र बनाने के लिए, सरकार ने 16 जनवरी 2016 को भारत भर में नवाचार और प्रक्षेपण को बढ़ावा देने की शुरुआत की है। सरकार कम से कम एक महिला निदेशक वाले मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप के लिए विशिष्ट डेटा रखती है। जी.एस.आर अधिसूचना 127 (ई) दिनांक 19 फरवरी 2019 के तहत निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा स्टार्ट-अप इंडिया पहल के तहत संस्थाओं को 'स्टार्ट-अप' के रूप में मान्यता दी गई है। 31 अक्तूबर 2023 तक, कुल 1,14,902 संस्थाओं को स्टार्ट-अप के रूप में मान्यता दी गई है,

जिनमें से 54,569 स्टार्ट-अप में कम से कम एक महिला निदेशक है। दिनांक 31.10.2023 तक कम से कम एक महिला निदेशक वाले मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप्स की क्षेत्र -वार संख्या का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

सरकार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिला उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्कीमें/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है, जो **अनुबंध-II** में दिया गया है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से, गैर-कृषि क्षेत्र में नई इकाइयों की स्थापना में उद्यमियों की सहायता करने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) कार्यान्वित कर रहा है। इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों/ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को उनके घर के नजदीक रोजगार के अवसर सुलभ कराना है। पीएमईजीपी के अंतर्गत, सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 15 प्रतिशत सीमांत राशि (एमएम) सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। विशेष श्रेणियों अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी), अल्पसंख्यक, महिलाएं, पूर्व सैनिक, दिव्यांग व्यक्ति, ट्रांसजेंडर, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों तथा आकांक्षीय जिलों से संबंधित लाभार्थियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सीमांत राशि सब्सिडी 35 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में 25 प्रतिशत है। इस परियोजना की अधिकतम लागत विनिर्माण क्षेत्र में 50 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपए है। साथ ही, महिलाओं सहित विशेष श्रेणी के अंतर्गत लाभार्थियों का स्व-योगदान सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए 10 प्रतिशत की तुलना में 05 प्रतिशत है। विगत 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश भर में पीएमईजीपी के तहत सहायता प्राप्त महिला-स्वामित्व वाली इकाइयों का विवरण इस प्रकार है:

वर्ष	**वितरित सीमांत राशि (लाख रुपए में)**	**सहायक इकाइयां**	**अनुमानित सृजित रोजगार**
2020-21	88674	27285	218280
2021-22	124451	39156	313248
2022-23	117572	32626	261008
2023-24 (12.12.2023 तक)	101695	21594	172752

(iii) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (माइटी)- समृद्ध स्कीम के अंतर्गत, माइटी के पास जोन स्टार्ट-अप्स नाम का एक समर्पित महिला-नीत एक्सेलेरेटर है जो 5 महिला-नीत स्टार्ट-अप के समूह का समर्थन करता है। इसके अलावा, माइटी की उद्यमियों की प्रौद्योगिकी पोषण और विकास (टीआईडी) स्कीम के तहत, युवा उद्यमियों को उनके द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों के व्यावसायिक दोहन के लिए प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप कंपनियां बनाने में उच्च शिक्षा संस्थाओं को सक्षम बनाने हेतु अपने प्रौद्योगिकी पोषण केंद्रों को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम के तहत 34 उद्यमी महिलाएं हैं।

II. कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निस्बड) और भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई), गुवाहाटी के

माध्यम से देश भर में महिला उद्यमियों के सशक्तिकरण, उत्थान और विकास के लिए काम कर रहा है। एमएसडीई ने देश भर में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में विभिन्न पहल की हैं। एमएसडीई द्वारा की गई विभिन्न पहलों का विवरण इस प्रकार है:

(i) संकल्प स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत क्षमता-निर्माण, इन्क्यूबेशन सपोर्ट, परामर्श और हैंडहोल्डिंग के माध्यम से उद्यमशील माहौल का सुदृढीकरण

निस्बड, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के संकल्प कार्यक्रम के सहयोग से सीमांत आबादी सहित समाज के विभिन्न वर्गों के लिए उद्यमशीलता इकोसिस्टम के सुदृढीकरण हेतु इस परियोजना को कार्यान्वित कर रहा है। क्षमता-निर्माण सहयोगों के माध्यम से परियोजना में कुल 13987 महिला लाभार्थियों को शामिल किया गया है।

(ii) कारीगर मेलों और हाटों में कार्यशालाओं का आयोजन

निस्बड मेलों और हाटों के दौरान क्षमता-निर्माण के लिए कार्यशालाओं के आयोजन और कारीगरों को उद्यमशीलता का ज्ञान प्रदान करने के लिए एमएसडीई द्वारा समर्थित परियोजना को कार्यान्वित कर रहा है। इस परियोजना में कुल 342 महिला लाभार्थियों को शामिल किया गया है।

(iii) जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण और उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम के माध्यम से उद्यमशील वातावरण तैयार करना

निस्बड जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण और उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम के माध्यम से उद्यमशील वातावरण तैयार करने के लिए एक परियोजना कार्यान्वित कर रहा है। इसके अलावा, उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम के माध्यम से परियोजना में कुल 3666 महिला जेएसएस प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया है।

(iv) उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम के लिए प्रायोगिक परियोजना

निस्बड ने कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा प्रायोजित 10 राज्यों में उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम के लिए एक प्रायोगिक परियोजना कार्यान्वित की है, जिसका उद्देश्य उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम, परामर्श और हैंडहोल्डिंग के माध्यम से लक्षित समूहों में उद्यमशीलता की भावना पैदा करना, प्रोत्साहन देना और प्रचार-प्रसार करना है। इस परियोजना में कुल 3089 महिला प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है।

(v) पवित्र शहरों में उद्यमशीलता विकास संबंधी प्रायोगिक परियोजना

निस्बड ने वाराणसी, हरिद्वार और पंढरपुर में पवित्र शहरों में उद्यमशीलता विकास संबंधी परियोजना कार्यान्वित की है। इस परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य मौजूदा आजीविका कार्यकलापों को पुनः शुरू करने के माध्यम से मंदिर शहर की उद्यमशीलता कार्यकलापों को उत्प्रेरित करना और मौजूदा उद्यम को बढ़ाने के लिए सहयोग देना और संभावित उद्यमियों का दोहन करना, उन्हें उद्यमों की पहचान करने, स्थापित करने और उद्यमों के प्रबंधन के लिए सलाह देना था। इस परियोजना के माध्यम से तीन परियोजना स्थानों पर कुल 5719 महिला प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है।

(vi) भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई), गुवाहाटी ने महिला-नीत स्टार्ट-अप के पोषण और सहयोग के लिए समर्पित इनक्यूबेशन केंद्र स्थापित किए हैं। ये केंद्र विचार, नवाचार और

प्रारंभिक चरण के विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं। वे साझा कार्यालय स्थान, प्रौद्योगिकी तक पहुंच और नेटवर्किंग के अवसरों जैसे संसाधन प्रदान करते हैं, एक सहयोगी इकोसिस्टम को बढ़ावा देते हैं जो महिला उद्यमियों को सफलता की ओर प्रेरित करता है। इसके अतिरिक्त, प्रारंभिक पूंजी बाधाओं को कम करने के लिए महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। महिलाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए आईआईई द्वारा निम्नलिखित परियोजनाएं/कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं:

(क) संस्थान ने प्रधान मंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए हैं जिन्हें पहले प्रधान मंत्री वन धन योजना (पीएमवीडीवाई) के नाम से जाना जाता था, जो महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने का लाभ देता है। महिलाओं को पीएमवीडीवाई स्कीम के माध्यम से पेश किए गए विभिन्न व्यवसायों को सीखने और अपनी उद्यमशीलता यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित किया गया है, जिससे विभिन्न जनजाति समुदायों की इन महिलाओं की आजीविका में सुधार होगा। पीएमवीडीवाई स्कीम के अंतर्गत प्रत्येक क्लस्टर को कार्यशील पूंजी के रूप में 2,40,000 रुपए की निधि प्रदान की जाती है, जिसकी मदद से लाभार्थी अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक कच्चा माल और अन्य आवश्यक सामान खरीद सकते हैं। नवीकरण की सुविधा, अनिवार्य अनुपालन के रख-रखाव को सुनिश्चित करने के लिए भंडारण स्थान बढ़ाने और बिजली कनेक्शन के लिए प्रति क्लस्टर अतिरिक्त सहायक निधि भी आवंटित और वितरित की जाती है।

(ख) पारंपरिक कारीगर कार्यकलाप को पुनर्जीवित करने के लिए क्लस्टर विकास परियोजनाएं शुरू की गईं: उत्तर-पूर्व क्षेत्र में, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) कार्यान्वयन पारंपरिक उद्योगों के पुनर्जनन के लिए निधि की योजना (स्फूर्ति) के माध्यम से महिला-नीत समूहों के लिए पुनर्जनन और पुनरोद्धार प्रयासों का सक्रिय रूप से नेतृत्व कर रहा है। स्फूर्ति को वित्तीय सहायता, क्षमता-निर्माण, डिजाइन विकास, उत्पाद विकास सहयोग, क्षमता-निर्माण, बाजार लिंकेज सहयोग और तकनीकी उन्नयन सहित महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करके पारंपरिक उद्योगों में नई जान फूंकने के लिए तैयार किया गया है।

(ग) आईआईई गुवाहाटी पूर्वोत्तर क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तराखंड के विभिन्न राज्यों में स्फूर्ति के तहत क्लस्टर विकास की 61 परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है। मुख्य फोकस पूर्वोत्तर क्षेत्र और महिला लाभार्थियों पर है, जिन्होंने उद्यम के अवसर पैदा करने के लिए सामूहिक गठन के लिए अपने घरों से बाहर कदम रखा है। इन 61 समूहों में से 30 क्लस्टर मुख्य रूप से महिला-नीत हैं, जो हथकरघा पारंपरिक कपड़ा, पोशाक निर्माण, बांस शिल्प और अन्य शिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, खिलौना निर्माण जैसे विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित हैं। 61 समूहों के माध्यम से 30,054 लाभार्थी लाभान्वित हुए। आईआईई द्वारा कार्यान्वित स्फूर्ति कार्यक्रम के इन 30,054 लाभार्थियों में से 17,759 लाभार्थी महिलाएं हैं जो लगभग 59 प्रतिशत हैं।

(घ) तकनीकी सहयोगों ने महिला कारीगरों को पारंपरिक कौशल और डिजाइन से समकालीन उत्पाद बनाने के लिए अपने कौशल और उत्पादकता को बढ़ाने में सक्षम बनाया है। आईआईई द्वारा विकसित कुछ महिला-नीत क्लस्टर नगालैंड से सीधे उत्पादों का निर्यात करने में भी सक्षम हुए हैं, जिससे उन्हें बेहतर आय और आजीविका कमाने में मदद मिली है। ऐसे उद्यमशील प्रयास महिला-नीत एसपीवी (विशेष प्रयोजन वाहन) द्वारा संचालित होते हैं जो

उद्यम कार्यकलापों को संचालित और प्रबंधित करते हैं। उन्होंने सरकार द्वारा प्रदान किए गए सहयोग से अपना खुद का ब्रांड और विशिष्ट पहचान भी विकसित की है।

(vii) महिला उद्यमियों का आर्थिक सशक्तिकरण तथा महिलाओं द्वारा स्टार्ट-अप (डब्ल्यूईई) परियोजना को जर्मन संघीय आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय की ओर से एमएसडीई के साथ भागीदारी में 'डॉयचे जेसेलशाफ्ट फर इंटरनेशनेल ज़ुसामेनरबीट' (जीआईज़ेड) द्वारा समर्थित किया गया था ताकि भारत में महिला-नीत उद्यमों के लिए रूपरेखा की स्थिति में सुधार किया जा सके। डब्ल्यूईई परियोजना एमएसडीई द्वारा वर्ष 2018 में शुरू की गई थी, शुरुआत में 3 वर्ष (2018-2021) की अवधि के लिए जिसे एक वर्ष के लिए जुलाई, 2022 तक बढ़ा दिया गया था। इस परियोजना का उद्देश्य महिला सूक्ष्म उद्यमियों के लिए पोषण और त्वरण कार्यक्रमों का संचालन करना है, जिससे उन्हें महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और देश के आठ उत्तर-पूर्वी राज्यों में नए व्यवसाय शुरू करने और मौजूदा उद्यमों को स्केल-अप करने में सक्षम बनाया जा सके। 'हर एंड नाउ' शीर्षक के तहत, डब्ल्यूईई परियोजना ने सफल महिला उद्यमियों की कहानियों को साझा करने और समाज में जेंडर रोलों और मानदंडों पर सकारात्मक मानसिकता परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए एक फिल्म और मीडिया अभियान चलाया था। इस परियोजना के अंतर्गत 908 से अधिक महिला उद्यमियों को पोषण और त्वरण सहयोग कार्यक्रमों के तहत सहयोग दिया गया था।

अनुबंध-I

''महिला उद्यमी'' के संबंध में 18.12.2023 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2377 के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

31.10.2023 तक कम से कम एक-महिला निदेशक वाले मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की क्षेत्र-वार संख्या का विवरण इस प्रकार है:

क्षेत्र	कम से कम एक महिला निदेशक वाले डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या
सूचान प्रौद्योगिकी सेवाएं	6,300
स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान	5,654
शिक्षा	3,545
खाद्य एवं पेय पदार्थ	3,075
कृषि	2,936
व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक सेवाएँ	2,881
निर्माण	2,414
प्रौद्योगिकी हार्डवेयर	1,648
वित्त प्रौद्योगिकी	1,552
नवीकरणीय ऊर्जा	1,376
मानव संसाधन	1,329
खुदरा	1,223
अन्य	1,196
हरित प्रौद्योगिकी	1,177
विपणन	1,088
ऑटोमोटिव	1,071
कपड़ा एवं परिधान	1,015
पहनावा	1,003
ए.आई	864
एंटरप्राइज़ सॉफ़्टवेयर	864
यात्रा एवं पर्यटन	812
मीडिया एवं मनोरंजन	805
गैर अक्षय ऊर्जा	799
परिवहन और भंडारण	717
इंटरनेट ऑफ थिंग्स	698
सुरक्षा समाधान	575
रसायन	566
दूरसंचार एवं नेटवर्किंग	523
वैमानिकी एयरोस्पेस एवं रक्षा	497
रियल एस्टेट	460
अपशिष्ट प्रबंधन	421
घरेलू सेवाएँ	407
सामाजिक प्रभाव	402
अन्य विशेष खुदरा विक्रेता	400
एनालिटिक्स	363
विज्ञापन	357
वास्तुकला आंतरिक डिजाइन	355
डिज़ाइन	352
सामाजिक नेटवर्क	298
रसद	264
खेल	243
कला एवं फोटोग्राफी	228
रोबोटिक	225

आयोजन	217
एआर वीआर (संवर्धित + वर्चुअल रियलिटी)	211
जैवप्रौद्योगिकी	198
सुरक्षा	181
पालतू पशु	176
खिलौने और खेल	163
इंडिक लैंग्वेज स्टार्टअप्स	145
कंप्यूटर दृष्टि	109
नैनोटेक्नोलॉजी	84
एनिमेशन	56
डेटिंग वैवाहिक	33
हवाई अड्डा संचालन	12
यात्री अनुभव	5
निर्दिष्ट नहीं	1
कुल योग	**54,569**

अनुबंध-II

''महिला उद्यमी'' के संबंध में 18.12.2023 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2377 के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

(i) महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप में इक्विटी और ऋण दोनों के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए, सिडबी द्वारा संचालित स्टार्टअप स्कीम के लिए फंड ऑफ फंड में 10% फंड (1000 करोड़ रुपये) महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए आरक्षित है। उक्त स्कीम के तहत, 30 अप्रैल 2023 तक, 11 महिला नेतृत्व वाले एआईएफ को एफएफएस के तहत सहयोग दिया गया है और लगभग 110 महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप में 2,000 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है।

(ii) महिला क्षमता विकास कार्यक्रम (विंग) महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए एक अद्वितीय क्षमता विकास कार्यक्रम है, जो इच्छुक और स्थापित दोनों महिला उद्यमियों को उनकी स्टार्टअप यात्रा में पहचानने और सहयोग करने के लिए है। कार्यशालाएँ प्रौद्योगिकी, निर्माण, उत्पाद, मशीन, खाद्य, कृषि, शिक्षा आदि सहित विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए खुली हैं। कार्यशालाएँ उभरती महिला उद्यमियों और अन्य हितधारकों के लिए महिला उद्यमियों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती हैं। विंग कार्यशालाओं ने चुनौतियों पर काबू पाने के लिए सर्वोत्तम पद्धति और अनुभवों को साझा करने और भारतीय संदर्भ में अपनाए गए व्यावसायिक मॉडल से सीखी गई अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाया है। 9 राज्यों में कुल 24 कार्यशालाएँ आयोजित की गईं, जिससे 1,300 से अधिक महिला उद्यमियों को लाभ हुआ।

(iii) महिला उद्यमियों के लिए वर्चुअल इनक्यूबेशन प्रोग्राम ज़ोन स्टार्टअप्स के सहयोग से 3 महीने के लिए प्रो-बोनो एक्सेलेरेशन सहयोग के साथ 20 महिला नेतृत्व वाले तकनीकी स्टार्टअप्स का सहयोग करने के लिए आयोजित किया गया था।

(iv) स्टार्टअप इंडिया हब: स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर महिला उद्यमियों को समर्पित एक वेबपेज डिजाइन किया गया है। इस पेज में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा महिला उद्यमियों के लिए विभिन्न नीतिगत उपाय शामिल हैं।

(v) एएससीईएनडी स्टार्टअप कार्यशाला श्रृंखला और स्टार्टअप कार्यशालाओं के लिए महिलाएं: सरकार ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के उद्यमियों, इच्छुक उद्यमियों और छात्रों के लिए स्टार्टअप कार्यशालाओं की एक श्रृंखला - एएससीईएनडी (एक्सेलरेटिंग स्टार्टअप कैलिबर एंड एंटरप्रेन्योरियल ड्राइव) का आयोजन किया। इसके अलावा, कार्यशालाएँ उत्तर-पूर्वी राज्यों में महिला उद्यमियों पर विशेष ध्यान देने के साथ आयोजित की जा रही हैं। कार्यशालाएँ नवंबर 2022 और दिसंबर 2022 के दौरान मणिपुर, असम, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा में आयोजित की गईं। कार्यशालाओं में सरकारी अधिकारियों, स्टार्टअप, महत्वाकांक्षी उद्यमियों, निवेशकों, शैक्षणिक संस्थानों आदि जैसे 11,000 से अधिक इकोसिस्टम हितधारकों की भागीदारी देखी गई।

(vi) सुपर स्त्री पॉडकास्ट: भारत के सभी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में महिलाओं को उद्यमी बनने के लिए प्रेरित करने की दृष्टि से, भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में महिलाओं पर सुपर स्त्री वीडियो पॉडकास्ट श्रृंखला शुरू की गई है। महिलाओं में नवाचारों से संबंधित जागरूकता फैलाने और देश में महिला उद्यमशीलता को और मजबूत करने के लिए 8 से अधिक पॉडकास्ट जारी किए गए हैं।

(vii) सरकार द्वारा आयोजित अपने विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से, और प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से,

सरकार मौजूदा स्कीमों के बारे में भी जागरूकता पैदा करती है जो महिला उद्यमियों सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों का समर्थन करती हैं।

(viii) स्टार्टअप इकोसिस्ट्म के समर्थन पर राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग मुख्य रूप से सभी भारतीय राज्यों में अच्छी पद्धति की पहचान करने के लिए एक अभ्यास है। मूल्यांकन में प्रत्येक राज्य में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन और विशेष प्रोत्साहन का आकलन करने के लिए एक विशिष्ट प्रावधान शामिल है। विशेष कार्रवाई बिंदु पर सक्रिय भागीदारी देखी गई है और उस पर भाग लेने वाले राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए उपायों की रिपोर्टिंग की गई है।

(ix) देश में नवाचार, समावेशिता और विविधता और उद्यमशीलता की गहराई, गुणवत्ता और प्रसार की पहचान करने के लिए, सरकार ने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार ('एनएसए') की स्थापना की। एनएसए के विजेता बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, मैसूर, भोपाल, गुरुग्राम, कोच्चि, लखनऊ, मडगांव आदि से सामने आए हैं। एनएसए के सभी चार संस्करणों (2020, 2021, 2022 और 2023) में महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए एक विशेष श्रेणी और पुरस्कार शामिल हैं। एनएसए 20 क्षेत्रों और विशेष श्रेणियों में स्टार्टअप को मान्यता और बढ़ावा देता है

******